रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224889
CG-DL-E-02022021-224889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/ माघ 13, 1942
No. 49] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. एच.आर.डी./1(1)/2011/कैडर पुनर्गठन/वॉल-III.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (सामाजिक सुरक्षा सहायक) भर्ती नियम 2003 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाने हेतु छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**

   1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सामाजिक सुरक्षा सहायक भर्ती नियम, 2021 कहा जाएगा।

   2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**

   उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-**

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या इसका अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या इसका अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति -** जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामाजिक सुरक्षा सहायक	12503* *(2021) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'ग', गैर-राजपत्रित गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (रू. 29,200-92,300) उक्त कैडर में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 80% सामाजिक सुरक्षा सहायकों (एस.एस.ए.) को फिटनेस और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन वेतन मैट्रिक्स (रू. 35400–112400) के लेवल-6 के वेतन में रखा जाएगा । **नोट:** (1) लेवल 4 में वेतन मैट्रिक्स (रू. 25,500–81,100) में कार्यरत वर्तमान सामाजिक सुरक्षा सहायक (एस.एस.ए.) को लेवल-5, वेतन मैट्रिक्स (रू. 29,200-92,300) में रखा जाएगा | (2) एक बारी उपाय के रूप में सामाजिक	गैर-चयन	18 एवं 27 वर्ष की आयु के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप 40 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा की छूट)

			सुरक्षा सहायक (एस.एस.ए.) जिन्होंने लेवल 4 में वेतन मैट्रिक्स (रू. 25,500–81,100) तथा लेवल-5, वेतन मैट्रिक्स (रू. 29,200-92,300) में 4 वर्ष की संयुक्त सेवा की है, उन्हें, 80% कोटा के विरुद्ध, फिटनेस और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन वेतन मैट्रिक्स (रू. 35400–112400) के लेवल-6 के वेतन में रखा जाएगा ।		

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं।	**क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।**
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (ii) कंप्यूटर पर न्यूनतम टंकण गति अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट । (डाटा एंट्री कार्य के लिए 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, औसतन प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन (key depression) के औसत पर प्रति घंटे की डिप्रेशन 10500 (केडीपीएच) / 9000 (केडीपीएच) के अनुरूप है) । नियत समय: 10 मिनट।	आयु - नहीं । शैक्षिक योग्यता – कॉलम संख्या 11 के तहत जैसे प्रावधान हो ।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	• 80% कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से सीधी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा • 15% पदोन्नति द्वारा और ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा • 5% प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा (फील्ड कार्यालय): क. संबंधित अंचल* में लेवल-2 में वेतन मैट्रिक्स (रू. 19,900-63,200) में 13 वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की शैक्षिक योग्यता रखते हो । ख. कंप्यूटर पर न्यूनतम टंकण गति अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट के साथ कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण । (35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, औसतन प्रत्येक शब्द के लिए 5 की	**(सीधी भर्ती के स्थाईकरण के संबंध में विचार करने के लिए) विभागीय स्थाईकरण समिति जिसमें शामिल हैं:-** 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - **अध्यक्ष;** 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-I (आंचलिक कार्यालय) - **सदस्य;** 3. क.भ.नि.सं. से बाहर के केंद्र सरकार के विभाग / संगठन से समुचित ग्रेड के अधिकारी – **सदस्य।** **(पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं:-** 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - **अध्यक्ष;** 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड -I (आंचलिक कार्यालय) - **सदस्य;**	लागू नहीं ।

डिप्रेशन (key depression) के औसत पर प्रति घंटे की डिप्रेशन 10500 (केडीपीएच) / 9000 (केडीपीएच) के अनुरूप है) । नियत समय: 10 मिनट। *संबंधित अंचल से तात्पर्य अंचल के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालय जो सामान्य वरिष्ठता सूची का रख रखाव करते हैं।	3. क.भ.नि.सं. से बाहर के केंद्र सरकार के विभाग / संगठन से समुचित ग्रेड के अधिकारी – **सदस्य।**	

सुनील बड़थ्वाल, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./483/2020-21]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. HRD/1(1)2011/Cadre Restructuring/Vol.III.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organization (Social Security Assistant) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, Employees' Provident Fund, hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Social Security Assistant in Employees' Provident Fund Organisation namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Employees' Provident Fund Organisation Social Security Assistant Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc**.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification.- No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Social Security Assistant	12503* (2021) *subject to variation dependent on workload	Group 'C', Non-gazetted Non-ministerial	Level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix. After completion of 4 years of regular service in the Cadre, 80% of Social Security Assistant (SSA) shall be placed to the pay in Level 6 in the pay matrix (35400 - 112400) subject to fitness and availability of vacancy. **Note:** (1) Existing Social Security Assistant (SSA) in Level 4 in the pay matrix (Rs.25,500 – 81,100) shall be placed in Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200 – 92,300). (2) As a one-time measure, Social Security Assistants (SSA) who have put in combined service of 4 years in Level – 4 in the pay matrix (Rs.25,500 – 81,100) and Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200 – 92,300) shall be placed in Level-6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400) against 80% quota subject to fitness and availability of vacancy.	Non-selection.	Between 18 and 27 Years. (The upper age limit is relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree from a recognised University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour (KDPH) / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word for Data Entry Work. Time allowed – 10 minutes.	Age: No. Educational Qualification: To the extent provided under column no. (11).	Two Years (for direct recruits).	• 80% by Direct Recruitment through open competitive examination conducted by Employees' Provident Fund Organisation or through an agency approved by the Central Board. • 15% by promotion failing which by Direct Recruitment. • 5% Recruitment for Meritorious Sportspersons.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion from amongst Lower Division Clerk (Field Office): a. having thirteen years' regular service in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200) in the respective zone* and who possess qualification of matriculation from a recognized Board; and b. qualifying a skill test with a minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour (KDPH)/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word. Time allowed – 10 minutes. * Respective Zone means all offices of Employees' Provident Fund Organisation maintaining a common seniority list within the zone.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of Direct Recruits) consisting of.-** i. Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone) – **Chairman**; ii. Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I, Zonal Office – **Member**; iii. Officer of appropriate grade from Central Government Departments/Organisation outside EPFO – **Member**. **Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of.-** i. Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone) – **Chairman**; ii. Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I, Zonal Office – **Member**; iii. Officer of appropriate grade from Central Government Departments/Organisation outside EPFO – **Member**.	Not applicable

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner and Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./483/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.02 21:55:41 +05'30'